# प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम 1961

# (Maternity Benefit Act, 1961)

अधिनियम का उद्धेश्य (Object of the Act ) मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 शिशू– प्रसव के पहले और उसके बाद की कुछ अवधि में महिलाओं के नियोजन को विनियमित करने के उद्धेश्य से बनाया गया है। समाज में उनके स्वतन्त्रता पूर्वक आने–जाने को अशोभनीय समझा जाने को अशोभनिय समझा जाने वाला वह जमाना अब चला गया है। दुनिया की प्रगति में स्त्रियां अब पीछे नही रह गई है। भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केवल लैंगिक स्तर पर भेदभाव वरतना विषिद्ध है।

सामान वेतन अधिनियम 1970 का उद्धेश्य सभी स्त्री–पुरूषों को समान स्तर पर रखना तथा तथा समान अधिकार प्रदान करना है। अधिनियम का आशय लिंगों में भेदभाव को रोकना है। ताकि समान कार्य में नियोजित रहें।

मातृत्व हित–लाभ योजनाओं का मुख्य उद्धेश्य एक महिला कर्मकार को उसके प्रसव 6 सप्ताह पूर्व व 6 सप्ताह बाद में अपने काय्र से अलग रहते हुए समर्थ बनाना है। ताकि उसकी आय को सुरक्षा प्रदान की जा सके। अधिनियम के अन्य उद्धेश्यों में गर्भवती महिला को उचित चिकित्सा व देख्भाल को सुनिश्चित किया जाना है। प्रशव के पूर्व तथा पश्चात की अवधियों के दौरान उसकी वर्खास्तगी को प्रतिशोधित करना है। और उसके बालक को स्तनपान के समर्थ बनाना है।

**अधिनियम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण परिभाषायें :**

क. ' समुचित सरकार' से तात्पर्य ऐसी स्थापना जो खान घुड़सवारी, कला प्रदर्शन, कलागाजी और अन्य करतवों के प्रदर्शन सम्बन्धी हो। केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य स्थापना के स्म्बन्ध में राज्य सरकार अभिप्रेत हे।

ख शिशु :– के अन्तर्गत मुतजात शिशु भी सम्मलित है।

ग. गर्भ का सामान्य तात्पर्य गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 (1971 का 34) के उपबन्धे के अधीन अनिुज्ञेय के समापन से अभिप्रेत हैं।

घ. गर्भपात से गर्भावस्था के 26 वें सप्ताह के पूर्व या दौरान की किसी कालावधि से संगर्भ गर्भाशय की अन्तर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा गर्भपात नही आता जिसका कारित जाना भारतीय दण्ड सहिता (1860 का 45) के अधीन दण्डनीय है।

ड. मजदूरी से वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी स्त्री को नगदी में सदत्त किया गया या यदि नियोजन की संविदा के अभिव्यक्य या विवक्षित निबन्धों की पूर्ति हो गई होती तो संदेय होता उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते है :–

1. ऐसे नगद भत्ते (जिसके अन्तर्गत मंहगाई भत्ता और गृह भाटक भत्ता भी है।) जिनकी कोई स्त्री तत्समय हकदार हो।
2. प्रोत्साहन बोनस तथा
3. खाघानों तथा अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का धन मूल्य किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नही है।
   - i. प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई बोनस
   - ii. अतिकालिक उपार्तन और जुर्मानों के लिए कि गई कोई कटोती या संदाय :
   - iii. किसी पैशन निधि या भविष्य निधि या स्त्री की प्रसुविध के लिये तत्सयम प्रवृत किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय कोई अभिदाय तथा
   - iv. सेवा के पर्यवसान पर संदेय कोई उपदान।

**अधिनियम की धारा 4 में प्रवधान है कि :–**

1. कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव या गार्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चाववर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में जानते हुए नियोजित नही करेगा।
2. कोई भी स्त्री अपने प्रसव या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अवयवस्थित प्रश्चावर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थान में काम नही करेगी।

**अधिनियम की धारा 5 'क' कहा गया है कि :–**

प्रसुति प्रसुविधा हर स्त्री को प्राप्त है चाहे वह अन्य अधिनियम से क्यूं का प्रभावित हो ऐसी सभी सुविधाये इस आधार पर नही अस्वीकार की जा सकती है कि वे दैनिक वेतन पर नियुक्त है। अधिनियम की धारा 5 (ख) यी बताती है कि कतिपय दशाओं मे भी प्रसुति प्रसुविधा का लाभ प्रत्येक स्त्री को मिलेगा।

क जो कसिी ऐसे कारखाने अथवा स्थपन में नियोजित है जिसके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्ध लागू होते है।

ख जिनकी मजदूरी (अतिकाल काम के लिए प्रश्रमिक हो छोडकर) एक मास के लिए उस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (9) के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है और

ग जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिदिष्ट शर्तो की पूर्ति करती है। इस अधिनियम प्रसुति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी।

**अधिनियम कहां लागु नही होगा।**

धारा –3 क और 5–ख में अन्यथा उपबन्धित के अलावा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन को लागू नहीं होगी। जिनपर इसे उन प्रतिष्ठानों पर लागू नही माना जायेगा जहां के कर्मकार राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्ध तत्समय लागू होते हैं। ऐसा इसलिये किया गया है कि क्योकि अधिनियम भी इन्हे प्रसुति प्रसुविधा उपलब्ध कराते हैं। दूसरी बात यी है कि दौहरा लाभ न दिये जाने का भी इसमें संकेत मितला है। कोई भी कर्मकार चाहे स्त्री हो या पुरूष एक बार ही लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रसुति प्रसुविधा एवम् बाकनस देने का उत्तरदायित्व नियोजक का होता है। यदि वह उन्हें अनुचित ढ़ग से रोकता है तो वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा और दण्डीत भी।

निम्नलिखित परिस्थितियों में नियोजक को उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

1. ज बवह नियोजित स्त्री को प्रसुति प्रसुविध प्रदान नही करता यदि उसे बोनस भी 25 रूपये का देय होगा। जिसके देने के उत्तरदायित्व से वह मुक्त रहता है।

2. जब नियोजक इसको प्रसव कार्य के लिये 12 सप्ताह की छुट्टी नही प्रदान करता।

3. प्रसव कार्य के आशयित दिन से एक महीना पूर्व जब वह स्त्री का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नही करता जिसमें वह हल्का काम देने एवम् खड़ा न काम करने की प्रार्थना करती है।

4. जब नियोजक 6 सप्ताह पूर्व का उसे अगिम वेतन या आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर की उसने प्रशव कार्य सम्पन्न कर लिया है। 48 घन्टे के भीतर प्रसुति प्रसुविधा नही दे देता। वह लाभ उसके 3 महीने पूर्व के औसत वेतन की दर पर देय होता है।

5. जब नियोजक जानबुझकर किसी ऐसी गर्भवती स्त्री को नियोजित करता है। जो छह सप्ताह के अन्दर बच्चा देने वाली है या प्रसव कार्य के बाद 6 सप्ताह का अवकाश पूर्ण नही कर पायी है लेकिन यदि स्त्री स्वयं धोखा देती है तो नियोजक उत्तदायी नही होगा। यह नियम स्त्री के वैधानिक एवम् प्राकृतिक ढ़ग से गर्भपात के लिए लागू होगा।

6. यदि नियोजक प्रशव करने वाली स्त्री की मृत्यु के बाद देय अदत्त प्रसुति प्रसुविधा उसके नामित व्यक्ति या वैधानिक उत्तराधिकारी को नही प्रदान करता तो स्त्री की मृत्यु पर प्रसुति प्रसुविधा अपने पास रखने का कोई बहाना नही बताया जा सकता। यदि स्त्री प्रशव कार्य के पूर्व ही मर जाती है ताकि उसको मृत्यु के दिन तक प्रसुति प्रसुविधा देय होगी।

7. जब नियोजक प्रसव के 6 सप्ताह बाद स्त्री को दूग्धपान के के लिए निधार्रित समय का दो अवकाश नहीं प्रदान करता जो सामान्य अवकाश के अतिरिक्त होगें।

8. यदि नियोजक गर्भ प्रशव एवम् गार्भपाजनित बीमारी के कारणों अवकाश की आवश्यकता उत्पन्न होने पर स्त्री को 6 सप्ताह के आलाव 1 महीने की और सवेतन छुट्टी नही देता।

9. जब नियोजक धारा 12 के प्रवधानों के प्रतिकुल अवकाश काल में स्त्री को सेवाविमुक्त या निलम्बित करता है। या ऐसा नोटिस देता है जो अवकाश काल में ही प्रभावी होने वाली हो।

10. जब नियोजित समुचित सरकार द्वाा नियुक्त निरिक्षक की कार्यवाही में अनुचित ढ़ग से वव्यधान उत्पन्न करता है अर्थात रजिस्टर अभिलेख नोटिस दिखाने से इेकार करता है या उनकी प्रतिलिपि नही लेने देता है।

11. निरिक्षक के आदेश का पालन नही करता।

धारा 23 इस बात का संकेत करती है कि इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये किसी भी नियम के अधीन जिस दिन अपराध का किया जाना अभिकथित है। 1 वर्ष के व्यतित होने के पहले अभियोजन के लिए कोई भी व्यथित महीला ट्रेड युनियन का कोई पदाधिकारी जिसकी महिला सदस्य है या निरिक्षक संक्षम साधिकार न्यायालय में अपराध कारित किये जाने की शिकायत दाखिल कर सकता है। स्पष्ट है कि यहां अपराधों या नियमों के उलंघन के लिए मेट्रापोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही अभियोजन प्रसतुत किया जा सकेगा। इसके नीचे के न्यायालय में नही। केन्द्रीय सरकार प्रसतुत अधिनियम को लागू करने का आदेश दे सकती किन्तु इसके लिए दो मास का अग्रिम सूचना सम्बन्धित उघोगों को प्रेषित कर देगी। समूचित सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार के भिन्न–भिन्न में स्थित उघोगों के लिए निरीक्षकों की नियुक्त और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उनका क्षेत्राधिकार विभाजित करेगी। यह अधिकार केवल के0 सरकार को ही प्राप्त है। जो इस अधिनियम के प्रवधानों के कियान्वयंन सम्बन्धी आदेश राज्य सरकारों को दे सकती है। यह आदेरूा परमादेशक होता है जिसका पालन करना राज्य सरकारों के लिए आवश्यक होगा।

धारा 25 इस धारा के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के यशाशीघ्र बाद संसद के पटल पर रखा जायेगा । जबकि संसद 30 दिनों के पूरे काल के लिए सत्र में हों। इस समय मै या दो लम्बवर्ती सत्रो संमाविष्ट हों । और यदि सत्र के व्यतीत होने के पहले दोनो सदन सहमत हो गये कों किइस नियम में कोई परिशोधन किसी जाये या दोनो सदन सहमत हो गये हो किवह नियम नही बनाया नही जाना चाहिए तो वह नियम उसके बाद केवल ऐसे प्ररिशोधित रूप में प्रभावकारी होगा । या कोई प्रभाव नही रखेगा जेसी भी स्थिति हो पूनरपि ऐसा कोई परिशोधन या रूद्धकरण उसी नियम के अंतर्गत पहले की गई किसी मामले की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डाल सकेगा ।

**कौन सी स्त्रियां प्रसुति प्रसुविधा पाने के योग्य नही समझी जातीः–**

धारा 18 के अनुसार किसी गंभीर दुराचरण की दोषी पाई जाने वाली महिलायें लाभों को न पा सकेगी। गंभीर दुराचार क्या है इसका स्पष्टीकरण किया जाना वांछिक था। प्रशव के बाद 6 सप्ताह के अवकाश के बीच यदि वह अन्यत्र काम करती है तो प्रसुति प्रसुविधा से वंचित होगी। अन्यथा इससे अधिनियम के मूलोंद्धेश्य पर ही कुठराघात होगा। क्योकि जिसके लिए 6 सप्ताह के सदृपयोग का अवसर दिया गया है । उसका तो दुरूपयोग वह अन्यत्र काम करके करेगी । दूसरी बात यह है कि गलत प्रमाणपत्र देकर प्रसुति प्रसुविधा लेना भी अनैतिक तथा अवैधानिक है । तीसरे जब वह कृत्रिम गर्भपात करती है या कराती है तो प्रसुति प्रसुविधा नही पायेगी । साथ ही भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दंडित भी की जाएगी ।

**उद्धेश्य :–** स्त्रीयो को इस प्रकार की सुविधा देना ही इस अधिनियम का उद्धेश्य है ताकि किसी प्रकार का व्यवधान प्रसव–काल में न हो। और वह कार्य सकुशल सम्पन्न हो सकें । साथ ही महीला नियोजिती को अपने पद से हटाये जाने का भय न रहे ।

सुप्रिम कोर्ट ने यह व्याख्या दी है कि दैनिक वेतन पाने वाली महिला कर्मचारी भी प्रसुति अवकाश में वेतन तथा भत्तों की पात्र है। क्योकि संविधान के अनुच्छेद 39 एवं 42 में राजकीय निति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ही मातृत्व हित लाभ अधिनियम बना है ।